



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48574

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2733 वर्ष 2026

मोरध्वज

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: बृजेश शुक्ला, सुशील कुमार शुक्ला
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश शुक्ला ने प्रस्तुत किया कि दंडादेश के विरुद्ध दायर अपील दिनांक 01.01.2022 से प्रत्यर्थी संख्या 2, समेकन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष लंबित है, अतः उसके निस्तारण हेतु निर्देश प्रदान किया जाए।
2. राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।
3. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत कथनों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रत्यर्थी संख्या 2, समेकन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, यदि अपील पूर्व में निस्तारित न की गई हो, तो आज से दो माह की अवधि के भीतर उसका निस्तारण करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अपील में उठाए गए समस्त तर्कों पर विचार किया जाएगा।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।